



दूरभाष: 0522-2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०

नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक:-5558/76/10/छ:/तक०/विविध/12-13

दिनांक:-31.03.15

परियोजना अधिकारी,

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद:-इलाहाबाद/अम्बेडकरनगर/औरैया/आजमगढ़/बागपत/बलिया/बलरामपुर/बरेली
/बस्ती/भदोई/सम्भल/बिजनौर/बदौयु/बुलन्दशहर/चन्दौली/अमेठी/इटावा/फर्रुखाबाद
/फिरोजाबाद/गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद/गाजीपुर/हरदोई/हाथरस/अमरोहा/झाँसी/का
सगंज/कौशाम्बी/कुशीनगर/ललितपुर/महाराजगंज/मऊ/मिर्जापुर/मुरादाबाद/मुजफ्फर
नगर/शामली/हापुड़/प्रतापगढ़/सहारनपुर/संतकबीरनगर/शाहजहाँपुर/सिद्धार्थनगर/सीता
पुर/सोनभद्र/श्रावस्ती/

विषय:-शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में "इण्टरलाकिंग
रोड व नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना" के अन्तर्गत प्रगति विवरण के
सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अभिकरण के पत्र सं०:-4068/76/10/छ:/तक०/विविध/12-13 दिनांक 17.01.15 का संदर्भ लेना चाहें जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में कराये गये कार्यों की अद्यतन प्रगति एवं पूर्ण कार्यों की स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करने की सूचना संलग्न प्रारूप में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी (सी०डी०) सहित प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अभिकरण को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा पुनः अभिकरण के पत्र संख्या 5164/76/10/छ:/विविध/12-13 दिनांक 12.03.2015 द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु अभी तक सूचना अभिकरण को उपलब्ध नहीं करायी गयी। जो आपके कार्यों के प्रति उदासीनता का द्योतक है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है तथा आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

अतएव कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने, पदीय दायित्वों का निर्वहन भली-भाँति न करने तथा आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में पन्द्रह दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

लखनऊ, कातपुरनगर, लखीमपुर
आगरा, रामपुर

(जोफामा के अनुसार नहीं है)

